मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बिहार राज्य के विरूद्ध इस माह में दायर मामलें एवं पूर्व से लंबित मामलें में प्रतिशपथ पत्र दायर किय जाने के संदर्भ में चर्चा किया गया। विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवदन के अनुसार गत माह [illegible] नये मामले दायर किये गए जबकि 1373 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा बताया गया कि गत माह के अपेक्षा इस माह प्रतिशपथ पत्र दायर करने के मामले में विभागों द्वारा अच्छा प्रयास किया गया तथा इसी क्रम को बनाये रखना चाहिए।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामलों में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग शामिल है। इसी प्रकार MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सहकारिता विभाग शामिल हैं।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, एवं पथ निर्माण विभाग शामिल हैं। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शामिल हैं।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वैसे विभाग जहाँ CWJC MJC के सर्वाधिक मामले लंबित हैं पर चर्चा किया गया। CWJC के मामले में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामले में कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शामिल हैं।

5. बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लंबित मामलों के संदर्भ में चर्चा किया गया। स्वास्थ्य विभाग में CWJC के 915 एवं MJC के 151 मामलें प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

6. बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग में लंबित मामलों के संदर्भ में चर्चा किया गया। शिक्षा विभाग में CWJC के 1240 एवं MJC के 171 मामलें प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित है। मुख्य सचिव के द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया।

7. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबित मामलों के संदर्भ में भी बैठक में चर्चा किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबित CWJC के 723 एवं MJC के 28 मामलें प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु विभाग के द्वारा गंभीरता पूर्वक प्रयास नहीं किये जाने पर मुख्य सचिव बिहार के द्वारा गहरी चिंता व्यक्त किया गया एवं प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित मामलों में त्वरित प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश विभाग को दिया गया।

8. बैठक में यह बात प्रकाश में आया कि प्रशासी विभागों द्वारा अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विलंब से विधि विभाग को उपलब्ध कराया जाता है जिसके कारण Trap Case, थाना कांडो में अभियुक्तों को अनावश्यक लाभ प्राप्त हो जाता है। अतः सभी विभागों को निदेश दिया गया कि निगरानी अथवा अन्य एजेन्सी से अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त होते ही विधि विभाग को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संचिका भेजी जाए।

इसी प्रकार निगरानी से संबंधित Trap Case में 60 दिन का समय सीमा निर्धारित है एवं 60 दिनों के बाद अभियोजन स्वीकृति नहीं होने की स्थिति में अभियुक्त जमानत पर छूट जाते है। अतः सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया गया कि अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव एक पक्ष पूर्व (15 दिन) कोड दैनिकी पर्यवेक्षण पदाधी माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं विभागीय मंतव्य के साथ विधि विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय अभियोजन स्वीकृति दिया जा सके। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा विधि विभाग को निर्देश दिया गया कि अभियोजन स्वीकृति का जांच पत्रक (चेक लिस्ट) सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाये.

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

18/12

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/8077 जे0 पटना, दिनांक- 21-12-15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/8077 जे0 पटना, दिनांक 21-12-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.15

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार